



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092025-266146
CG-DL-E-14092025-266146

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]

नई दिल्ली, रविवार, सितम्बर 14, 2025/भाद्र 23, 1947

No. 247]

NEW DELHI, SUNDAY, SEPTEMBER 14, 2025/BHADRA 23, 1947

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2025

फा. सं. 28/02/2025-बागवानी तकनीकी-I.— भारत दुनिया में मखाना का अग्रणी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। मखाना को सुपरफूड माना जाता है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, आवश्यक प्रोटीन, आहार फाइबर और खनिज होते हैं। मखाना में एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होती है। मखाना में मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है और सोडियम की मात्रा कम होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। मखाना अब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में अत्यधिक पौष्टिक सुपरफूड के रूप में ध्यान और मान्यता प्राप्त कर चुका है, जिसकी खपत बढ़ रही है। मखाना मुख्य रूप से भारत के पूर्वी और मध्य भाग में उगाया जाता है, जिसमें बिहार उत्पादन का बड़ा योगदान है।

मखाना और उसके उत्पादों की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने के लिए, भारत सरकार एतद्वारा, "राष्ट्रीय मखाना बोर्ड" का बिहार में गठन करती है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन और निर्यात संवर्धन में सुधार करना है।

1. गठन:-

क. राष्ट्रीय मखाना बोर्ड में शामिल होंगे -

- i. अध्यक्ष;
- ii. कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, वाणिज्य और उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पांच सदस्य;
- iii. कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव कृषि, बिहार और अन्य मखाना उत्पादक राज्यों से रोटेशन के आधार पर दो अधिकारी;
- iv. मखाना उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन सदस्य (केंद्र सरकार द्वारा नामित);
- v. मखाना प्रसंस्करणकर्ताओं/निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो सदस्य (केंद्र सरकार द्वारा नामित);
- vi. निदेशक, आईसीएआर-राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा (बिहार);
- vii. निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) या उनके नामित व्यक्ति;
- viii. निदेशक, आईसीएआर-केन्द्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीएचईटी), लुधियाना (पंजाब);
- ix. अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) या उनके नामित व्यक्ति;
- x. बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), सबौर, भागलपुर के कुलपति या नामित व्यक्ति; और
- xi. राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के सचिव;

ख. अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी।

ग. आधिकारिक सदस्यों के अलावा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष होगा।

घ. सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग राष्ट्रीय मखाना बोर्ड को सचिवीय सहायता प्रदान करेगा।

ङ. राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी।

च. राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में, बैठकों की अध्यक्षता केंद्र सरकार के सबसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. उद्देश्य-राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात्-

- i. मखाना में उत्पादन और नई प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना;
- ii. मखाना में कटाई के बाद के प्रबंधन को मजबूत करना;
- iii. मखाना में मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना;
- iv. मखाना में बाजार, निर्यात और ब्रांड विकास को सुविधाजनक बनाना;
- v. अनुसंधान और विकास: मखाना उद्योग आदि की उत्पादकता, गुणवत्ता, मूल्य संवर्धन और स्थिरता को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक उन्नति और आधुनिक तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना;

- vi. क्षमता निर्माण: किसानों, एफपीओ और अन्य हितधारकों को प्रौद्योगिकी उन्नयन और उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण प्रदान करना;
- vii. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: मखाना उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और देशों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करना;
- viii. बोर्ड किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए काम करेगा; और
- ix. मखाना क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य उद्देश्य।

3. वित्त

- i. राष्ट्रीय मखाना बोर्ड अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए बजट के साथ वार्षिक योजना तैयार कर सकता है।
- ii. केंद्र सरकार अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अनुदान प्रदान कर सकती है।
- iii. आधिकारिक सदस्यों के अलावा राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के सदस्यों के लिए यात्रा/दैनिक भत्ता व्यय विभाग के प्रचलित परिपत्रों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

- 4. नियंत्रण और पर्यवेक्षण- राष्ट्रीय मखाना बोर्ड केंद्र सरकार के समग्र अधिकार, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के तहत कार्य करेगा।

प्रभात कुमार, बागवानी आयुक्त

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2025

F. No. 28/02/2025-Hort.Tech-I.—India is the leading producer, consumer and exporter of Makhana in the world. Makhana is considered a superfood because it contains a sufficient amount of carbohydrates, essential proteins, dietary fiber, and minerals. Makhana contains a good amount of antioxidants. Makhana has high magnesium & potassium and low sodium content. It has a low glycemic index. Makhana has now gained attention and recognition as a highly nutritious superfood in both domestic and international markets with increased consumption. Makhana is primarily grown in the eastern and central part of India, with Bihar contributing the major share of production.

In order to harness the untapped potential of makhana and its products, the Government of India hereby constitutes, the “**National Makhana Board**” in Bihar with the primary objective to improve production, processing, value addition, marketing and export promotion of makhana.

1. Constitution:-

A. The National Makhana Board shall consist of –

- i. Chairperson;
- ii. Five members to represent respectively the Ministries/Departments of the Central Government dealing with Agriculture and Farmers Welfare, Rural Development, Commerce and Industry, Food Processing Industries and Micro, Small and Medium Enterprises;

- iii. Agriculture Production Commissioner/Principal Secretary Agriculture, Bihar and two officials from other makhana growing states on rotation basis;
 - iv. Three members to represent makhana growers (to be nominated by Central Government);
 - v. Two members to represent Makhana Processors/Exporters (to be nominated by Central Government);
 - vi. Director, ICAR-National Research Center for Makhana, Darbhanga (Bihar);
 - vii. Director, National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management (NIFTEM) or his Nominee;
 - viii. Director, ICAR-Central Institute of Post-Harvest Engineering & Technology (CIPHET) Ludhiana (Punjab);
 - ix. Chairman, National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) or his Nominee;
 - x. Vice-Chancellor of Bihar Agriculture University (BAU), Sabour, Bhagalpur or nominee; and
 - xi. Secretary of National Makhana Board;
- B. The Chairperson shall be appointed by the Central Government.
- C. The term of office of the Chairperson and Members of the Board other than official members shall be a maximum of three years from the date of appointment.
- D. Secretary shall be an officer appointed by the Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India. The Department of Agriculture & Farmers Welfare shall provide secretarial assistance to the National Makhana Board.
- E. The National Makhana Board shall have at least two meetings in a financial year.
- F. All meetings of the National Makhana Board shall be chaired by the Chairperson and in his absence, the meetings shall be chaired by the senior most official from the Central Government.
2. **Objectives**-The National Makhana Board shall have the following objectives, namely-
- i. Promote production and new technology development in makhana;
 - ii. Strengthen post-harvest management in makhana;
 - iii. Promote value addition and processing in makhana;
 - iv. Facilitate market, export and brand development in makhana;
 - v. Research and Development: Focus on promoting scientific advancement and modern technological solutions to enhance the productivity, quality, value addition and sustainability of Makhana industry etc.;
 - vi. Capacity Building: Provide training to farmers, FPOs and other stake holders on technology upgradation, and entrepreneurship development;
 - vii. National & international Collaboration: Facilitates collaboration between government agencies, research institutions, private sector, international organizations and countries to promote the holistic development of makhana industry;
 - viii. Board will work for convergence with other government schemes for benefitting to farmers; and
 - ix. Any other objectives as may be determined by the Central Government for promotion and development of makhana sector.
3. **Finance**
- i. The National Makhana Board may, for furthering its objectives, prepare an annual plan along with budget for approval by the Central Government.
 - ii. The Central Government may provide grant as may be considered necessary for furthering its objectives.
 - iii. Travelling / daily allowance to the members of the National Makhana Board, other than official members shall be regulated as per Department of Expenditure, circulars in vogue.
4. **Control and supervision**- The National Makhana Board shall function under the overall authority, supervision and control of the Central Government.

PRABHAT KUMAR, Horticulture Commissioner